ओ0पी0 सिंह,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या-32/2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमती नगर विस्तार-7
पुलिस मुख्यालय,उ0प्र0 लखनऊ।
दिनांकःजुलाई 16,2019

प्रिय महोदय,

प्रदेश के विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य छोटी से छोटी घटनाओं के घटित होने के फलस्वरूप शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य घटित घटनाओं के दृष्टिगत अमन-चैन और सामाजिक समरसता बनाये रखने की कटिबद्धता को ध्यान में रखते हुये सक्रिय तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराने की अनवरत् प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के निरन्तर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- विगत में प्रदेश के विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य साम्प्रदायिक सौहार्द एवं बन्धुत्व की भावना को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से कतिपय जनपदों में अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक असहिष्णुता की घटनाओं को कारित करने का कुत्सित प्रयास किया गया। जनपद स्तर पर ऐसें सभी उपाय किये जाने चाहिये, जिससे कि कोई भी छोटी से छोटी घटना वृहद साम्प्रदायिक रूप न ले सके।

डीजी परिपत्र-26/2018
डीजी परिपत्र-12/2014
डीजी परिपत्र-56/2015
डीजी परिपत्र-51/2013

3- अतएव उक्त घटनाओं का संज्ञान लेते हुये राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश में अमन-चैन, सामाजिक समरसता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना प्रबल रूप से विकसित किये जाने एवं अराजक तत्वों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करते हुये इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के दृष्टिगत निम्नांकित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है :-

1. साम्प्रदायिक तनाव एवं वृहद साम्प्रदायिक घटना को रोकना अतिआवश्यक है। जिला प्रशासन एवं पुलिस संयुक्त रूप से जिले की साम्प्रदायिक क्षेत्रों की समय-समय पर समीक्षा करते रहें। संवेदनशील स्थलों एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया जाये जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश हो :-
   (1) जनसंख्या का विवरण।
   (2) ऐसी कोई सम्पत्ति, धार्मिक, निजी जमीन, मकान का विवाद जो दो सम्प्रदायों के बीच हो।
   (3) जुलूस एवं जुलूसों के रास्ते जो विवादित हों अथवा विवाद होने की संभावना हो।
   (4) विगत में हुयी लड़ाई, झगड़ा, विवाद, साम्प्रदायिक इतिहास, धर्म परिवर्तन या पुनः धर्म परिवर्तन।
   (5) अर्न्तधार्मिक प्रेम प्रसंग के मामले।
   इन बिन्दुओं एवं अन्य अर्न्तधार्मिक मामलों/विवादों के आधार पर क्षेत्र को संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील के रूप में चिन्हित करते हुए विस्तृत दंगा निरोधक प्लान को बनायें एवं समय-समय पर अद्यावधिक करते रहें।
2. ऐसे तत्वों जिनके भ्रमण आदि से साम्प्रदायिक सद्भाव एवं समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, उनके संबंध में आसूचना का संकलन स्थानीय अभिसूचना इकाईयों एवं जनसामान्य एवं अन्य श्रोतों से किया जाये तथा प्राप्त होने वाली सूचनाओं का मूल्यांकन करते हुये उनके विरूद्ध द0प्र0सं0 तथा एन0एस0ए0/गैगेंस्टर व अन्य सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
3. संवेदनशील स्थानों पर समुचित पुलिस व्यवस्था यथा-सी0सी0टी0वी0 कैमरा, पर्याप्त दंगा नियंत्रण/सुरक्षा उपकरण एवं यातायात व्यवस्था आदि सुनिश्चित कराया जाये।
4. संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील थानों, चौकियों, आऊट पोस्ट में मानक के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति अवश्य होनी चाहिए। ऐसे स्थानो पर दंगारोधी उपकरणों यथा-पर्याप्त मात्रा में लाठी, डण्डा, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, कैनसील्ड, टियर गैस, रबर बुलेट इत्यादि दंगा नियन्त्रण उपकरणों की उपलब्धता बनी रहे।

Scanned by CamScanner

5. ऐसे प्रकरण यथा-धार्मिक/सार्वजनिक स्थलों पर जहां पर भूमि विवाद आदि के कारण सामाजिक तनाव एवं साम्प्रदायिक विद्वेष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, को समय रहते हुये चिन्हित किया जाये और प्रकरण की गम्भीरता के अनुरूप जनपद के पुलिस अधीक्षक अपने जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करके अपने निकट पर्यवेक्षण में त्वरित निस्तारण करायें।
6. जनपद स्तर पर महत्वपूर्ण अवसरों, उदाहरणार्थ धार्मिक पर्व, रैली, शोभा यात्रा आदि का वार्षिक कैलेण्डर रखा जाये तथा ऐसे अवसरों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण, आसूचना का संकलन कराते हुये अनुभवों एवं अवसरों की विशिष्टता तथा संवेदनशीलता के आधार पर समुचित प्रबन्ध पूर्व से ही सुनिश्चित कर लिये जायें।
7. साम्प्रदायिक तनाव/घटना के फलस्वरूप पुलिस बल द्वारा जनपद के समस्त धार्मिक स्थल (मन्दिर/मस्जिद एवं अन्य धार्मिक स्थल) की निगरानी रखी जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोई अवांछनीय वस्तु धार्मिक स्थल के आस-पास मौजूद न हो।
8. घटना के दौरान क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों/भवनों की अविलम्ब मरम्मत कराने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाये।
9. साम्प्रदायिक घटना घटित होने के उपरान्त उन्मादी भीड़ द्वारा एकत्रित होकर सड़कों पर मार्गावरोध तथा धार्मिक स्थलों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं सरकारी वाहनों/भवनों/सम्पत्ति आदि को क्षतिग्रस्त किये जाने की आशंका के दृष्टिगत ऐसे स्थानों को चिन्हित कर समुचित पुलिस प्रबन्ध करते हुये आवश्यकतानुसार जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि की तैनाती अवश्य ही करा ली जाये।
10. ऐसा कोई संगठन जो किसी भी माध्यम से साम्प्रदायिक या अन्तर्जातीय उन्माद फैला रहा हो, को चिन्हित कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करना।
11. लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के ध्वनि मानक एवं निर्धारित समय के संबंध में इसका प्रयोग करने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों/स्थलों के स्वामियों को हिदायत कर दी जाये। इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा जनहित याचिका (सिविल) संख्याः24981/2017 मोती लाल यादव बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 में समय-समय पर पारित आदेशों तथा उसके अनुक्रम में शासन स्तर से पारित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
12. असमाजिक तत्वों/साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये तथा ऐसे तत्वों के विरूद्ध नियमानुसार धारा-116(3) द0प्र0सं0 निरूद्ध करने व 110 जी, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर, एन0एस0ए0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। साथ ही ऐसे व्यक्तियों जिनका समाज में खुलेआम रहना समाज के हित में न हो और व किसी मामले में जमानत पर हों तो उनकी तत्काल जमानत खारिज कराने की कार्यवाही की जाये।
13. धार्मिक स्थलों, सरकारी भवनों, शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स, सिनेमाहाल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डों, हवाई अड्डों की वाह्य सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों इत्यादि की जनपद स्तर पर सुरक्षा की कार्य योजना अवश्य तैयार कर ली जाये तथा समय-समय पर इसका रिहर्सल एवं मॉक ड्रिल भी करायी जाये।
14. क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्तियों को पीस कमेटी में सम्मिलित करते हुये आवश्यकतानुसार जनपद स्तर पर सेन्ट्रल पीस कमेटी की बैठक एवं थाना स्तर पर पीस कमेटी का बैठक का आयोजन त्यौहारों के पूर्व, आकस्मिक परिस्थिति एवं साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति में अवश्य की जाये। कम्युनिटी पुलसिंग प्रोग्राम (एस-10 सम्बन्धी) के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याःडीजी-26/2018, दिनांक 30.05.2018 में अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
15. थाना स्तर पर साम्प्रदायिक मामलों से सम्बन्धित साम्प्रदायिक व बलवा के सभी रजिस्टरों को अद्यावधिक करा लिया जाये। साम्प्रदायिकता फैलाने वाले व्यक्तियों की सूची अद्यावधिक कर उन पर निरन्तर निगरानी रखते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
16. दंगा नियंत्रण योजना का नियमित पूर्वाभ्यास समय से सुनिश्चित कराया जाये। अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाये तथा आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यूनतम बल का उपयोग किया जाये।
17. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ संदेश के वायरल होने पर अन्य जनपदों में भी साम्प्रदायिक सद्भाव प्रभावित होने की प्रबल संभावना रहती है। फेसबुक, व्हाट्स-अप, ट्वीटर इत्यादि की निगरानी कर सतर्क दृष्टि रखी जाये।

Scanned by CamScanner

18. डिजिटल वालेण्टियर्स का व्हाट्स-अप ग्रुप बनाकर उनसे पूर्ण सहयोग लेकर प्रभावी कार्यवाही की जाये साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों का जनपद के मीडिया एवं अन्य श्रोतों के माध्यम से तत्काल खण्डन भी किया जाये। विशिष्ट स्थितियों के क्रम में आवश्यकतानुसार इन्टरनेट सेवाओं, मोबाइल सर्विस के संचालन को नियंत्रित किया जाये। इस सम्बन्ध में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः डीजी-38/2018, दिनांक 13.07.2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
19. किसी भी साम्प्रदायिक घटना को रोकने हेतु दृढ़ता, कठोरता एवं व्यवहार कुशलता से कार्यवाही की जाये।
20. मीडिया से समुचित संवाद स्थापित होना चाहिये तथा मीडिया कर्मियों को सही तथ्यों से तत्काल अवगत कराया जाये।
21. साम्प्रदायिक सौहार्द के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में जारी गाइड लाइन्स दिनांक 23.06.2008 का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः आप सभी से अपेक्षित है कि आप उक्त निर्देशों का अनुश्रवण करते हुये अपने जनपद में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायें तथा जनपद में होने वाली छोटी से छोटी साम्प्रदायिक तनाव/घटनाओं को स्वयं संज्ञान में लेकर अविलम्ब त्वरित प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। जिससे प्रदेश की कानून एवं साम्प्रदायिक स्थिति सदैव सुदृढ़ रह सके।

भवदीय,

26/7/19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
जनपद प्रभारी उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतुः-

1. पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, एटीएस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner